कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर ।

पत्रांक– 168 /स0वि0प्रा0/अधि0/2025–26 दिनांक 16 फरवरी, 2026

–:: विज्ञप्ति/नोटिस ::–

प्राधिकरण हित में एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन की शहरी विस्तारीकरण/नये शहर की प्रस्तावित योजना के विकास कार्यो के दृष्टिगत संविदा के आधार पर 11 माह की अवधि के लिये **"सहायक तकनीकी सलाहकार/पर्यवेक्षक" के 01** पद पर साक्षात्कार के माध्यम से उ0 प्र0 शासन/प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) **को** नियत मासिक मानदेय/पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाना है, जिस हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिको के आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2026 से 26.02.2026 तक आमन्त्रिंत किये जाते है :–

उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य शर्ते निम्नवत् है :–

1– उपरोक्त पदों पर उ0 प्र0 शासन/प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिक ही आवेदन कर सकते है।

2– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल/हाइयर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची मूल दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होगें। ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त नही की है को वरीयता दी जायेगी।

3– शासनादेश संख्या–19/2017–सा–3–22/दस–2017–930–83 दिनांक 13.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार सेवानिवृत्त कार्मिको को उपरोक्त विवरण के अनुसार देय नियत मासिक पारिश्रमिक एवं पेंशन की मूल धनराशि का योग सेवानिवृत्ति तिथि को प्राप्त मूल वेतन से अधिक नही होना चाहिए, अर्थात जो भी धनराशि कम होगी–अनुमन्य की जायेगी।

4– ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो अथवा जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया हो अथवा जिनके विरूद्ध विभागीय जॉच प्रचलित है अथवा जिनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामलें/वाद दर्ज है उनके सम्बन्ध में विचार नही किया जायेगा।

5– इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक को आवेदन पत्र भर कर मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। आवेदन पत्र के साथ विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति एवं अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र/एल0पी0सी0 प्रति संलग्न करनी होगी।

6– संविदा की अवधि 11 माह होगी तथा उससे पूर्व में भी बिना कोई कारण दिये शासकीय कार्यहित में प्राधिकरण द्वारा 15 दिवस का नोटिस देते हुए सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

7– कार्य पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर सेवा के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए रू0 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध किया जायेगा तथा संविदा पद पर नियमित नियुक्ति कोई दावा ग्राह्य नही होगा।

8– अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– साक्षात्कार हेतु आने व जाने के लिए कोई भत्ता देय नही होगा।

10– चयन के सम्बन्ध में प्राधिकरण उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

सचिव,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर ।

–:: आवेदन पत्र ::–

भाग– "क"

आवेदक का पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो

1. सहायक तकनीकी सलाहकार/पर्यवेक्षक
   (सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, सिविल) पद हेतु आवेदन पत्र
2. सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. जन्मतिथि : ....
5. पता : ....
   : ....
6. मोबाइल नम्बर : ....
7. आयु : ....वर्ष ....माह . ...दिन
8. शैक्षणिक एवं तकनीकी अहर्ताएँ : ....
   : ....
9. कार्यालय का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुए है : ....
10. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद : ....
11. सेवानिवृत्ति तिथि : ....
12. अनुभव : ....
13. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (एल0पी0सी0 संलग्न करें) : ....
14. मूल पेंशन राशि : ....

हस्ताक्षर मय दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

भाग– "ख"

– :: <u>सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबद्ध</u> ::–

अधोहस्ताक्षरी उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति पर लगाने के लिए समस्त निर्बधंनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात संविदात्मक सेवाओं को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी रीति से दण्डित नही किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच प्रचलित नही है तथा न ही किसी अपराधिक मामले में वाद दर्ज है। अधोहस्ताक्षरी को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नही किया गया है।

मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गयी है वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner